भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH H 657328

श्रीमती किरन देवी बुन्दु लाल कर्णवाल चैरिटिबल ट्रस्ट का ट्रस्टडीड

यह ट्रस्ट डीड श्री बृजेश कर्णवाल पुत्र स्व0 श्री बुन्दुलाल कर्णवाल निवासी मौहल्ला बेगम सराय, अफजलगढ़ तहसील धामपुर जिला बिजनौर (जो कि इस ट्रस्ट के गठनकर्ता है) द्वारा आज दिनांक 12.12.2011 को तैयार करके प्रस्तुत की गई ।

इस ट्रस्ट के गठनकर्ता श्री बृजेश कर्णवाल पुत्र स्व0 श्री बुन्दुलाल कर्णवाल निवासी मौहल्ला बेगम सराय, अफजलगढ़ तहसील धामपुर जिला बिजनौर इसका निर्माण इस उद्देश्य से कर रहे है कि शैक्षिणिक एंव सामाजिक उत्थान एंव विकास के क्षेत्र में इस ट्रस्ट का माध्यम से सकारात्मक भूमिका निर्वाह किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु गठनकर्ता द्वारा ट्रस्ट की परिसम्पत्ति के रूप में रूपया 50000/-- रू0 (पचास हजार रू0) एकत्रित किया है।

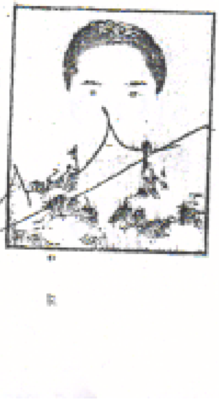

Brijesh Kumar

Akash Karnwal

Manish Karnwal

Amit Karnwal

किरन देवी

Amit Kumar

Principal
K.D.B.L International School
Afzalgarh (Bijnor)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH H 657330

3

4— आवश्यकतानुसार प्रत्येक स्तर की शिक्षण संस्थायें, स्कूल, कॉलेज आदि संचालित करना एंव उसका प्रबन्ध करना।

5— छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अच्छे शिक्षक तैयार करने हेतु शिक्षक– प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एंव उनका उचित प्रबन्धन करना।

6— प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित करना। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रकार के शिक्षण एंव प्रशिक्षण हेतु सामग्री की व्यवस्था करना।

7— स्कूली बच्चों, छात्रों एंव समाज के विभिन्न वर्गो के प्रेरणादायक प्रंसगों से अवगत कराने एंव उनके नैतिक, सामाजिक व मानसिक स्तर का ऊंचा उठाने के उद्देश्य से बैठकों, भाषणों, मालाओं, वाद–विवाद प्रतिगोगिताओं, सेमीनारों, सभाओं, अन्य प्रतियोगिताओं अध्ययन एंव शोध कार्यो, खेलूकूद, दर्शनीय एंव पर्यटन स्थलों के भ्रमण कार्यक्रमों, प्रर्दशनियों आडियों – वीडियो सिनेमा प्रदर्शन कार्यक्रम आदि का आयोजन करना।

Principal
K.D.B.L International School
Afzalgarh (Bijnor)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 883842

8— जन सामान्य को ज्ञान एंव बौद्विक स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से लाइब्रेरी, म्यूजियम, व रीडिंग रूम आदि की स्थापना करना एंव उनमें जनोपयोगी पठन पाठन व अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।

9— प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियों, पारितोषक एंव निःशुल्क पुस्तकें आदि उपलब्ध कराना एंव उनको विकास के समुचित साधन उपलब्ध कराना।

10— ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार दान अनुदान सदस्यता शुल्क आदि ट्रस्ट के सदस्यों एंव अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं से प्राप्त करना एंव विभिन्न कम्पनियों ,फर्मो सोसाइटियों बैंकों एव अन्य वित्तीय संस्थाओं से निर्धारित शर्तो पर ट्रस्ट के पक्ष में ऋण व पूंजी निवेश प्राप्त करना एंव ट्रस्ट की ओर से आवश्यक होने पर उक्त संस्थाओं में पूंजी निवेश करना।

11— समय समय पर प्राकृतिक एंव देवीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सामग्री जैसे भोजन, कपडे, दवायें अस्थाई एंव स्थाई भवन आदि उपलब्ध कराना।

12— विकलांगों,अंग—भंग व शारीरिक व मानसिक रूप सं अक्षम व्यक्तियों को चिकित्सा एंव अन्य प्रकार की वांछित सहायता उपलब्ध कराना।

13— गरीब वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक सुदृढीकरण हेतु कार्यक्रम चलाना एंव उनकी पुत्रियों की शादियों में आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

14— ग्रामीण एंव शहरी क्षेत्रों में शुद्व पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराना एंव अनुत्पदक भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु विकास परियोजनायें चलाना।

Amit Kumar
Principal
K.D.B.L International School
Afzalgarh (Bijnor)

Brijesh Kumar
Akash Karnwal
Manish Karnwal
Amit Karnwal
किरन देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH H 657330

4– आवश्यकतानुसार प्रत्येक स्तर की शिक्षण संस्थायें, स्कूल, कॉलेज आदि संचालित करना एंव उसका प्रबन्ध करना।

5– छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अच्छे शिक्षक तैयार करने हेतु शिक्षक– प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एंव उनका उचित प्रबन्धन करना।

6– प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित करना। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रकार के शिक्षण एंव प्रशिक्षण हेतु सामग्री की व्यवस्था करना।

7– स्कूली बच्चों, छात्रों एंव समाज के विभिन्न वर्गों के प्रेरणादायक प्रंसगों से अवगत कराने एंव उनके नैतिक, सामाजिक व मानसिक स्तर का ऊंचा उठाने के उद्देश्य से बैठकों, भाषणों, मालाओं, वाद–विवाद प्रतिगोगिताओं, सेमीनारों, सभाओं, अन्य प्रतियोगिताओं अध्ययन एंव शोध कार्यो, खेलूकूद, दर्शनीय एंव पर्यटन स्थलों के भ्रमण कार्यक्रमों, प्रर्दशनियों आडियों – वीडियो सिनेमा प्रदर्शन कार्यक्रम आदि का आयोंजन करना।

Principal
K.D.B.L International School
Afzalgarh (Bijnor)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 883843

15– धर्मार्थ, अस्पतालों, नर्सिंग होम, चिकित्सा सेवा केन्द्र वृद्घावस्था आवास गृहों आदि की स्थापना करना एंव उनका संचालन करना।

16– छात्रावासों एंव बोर्डिंग हाउसों की स्थापना करना व नौजवानों के शारीरिक विकास हेतु खेल के मैदानों का निर्माण करना तथा उन्हें खेल–कूद व्यायाम हेतु आवश्यकता उपकरण व सामग्री उपलब्ध कराना।

17– जन सामान्य की धार्मिक एंव आध्यामिक गतिविधियों को उचित दिशा में चढावा देना एंव आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।

18– लघु उद्योगों एंव हस्त शिल्प को विकसित करना।

19– गरीब वर्ग एंव जनता की सुविधा के लिए विवाह भवनों की देश के किसी भी भाग में स्थापना करना।

20– समाज के अक्षम व्यक्तियों / परिवारों को समय–समय पर आवश्यकतानुसार आवास, भोजन सामग्री एंव वस्त्र इत्यादि निःशुल्क अथवा नोमीनल मूल्य पर उपलब्ध कराना।

Amit Kumar

Principal
K.D.B.L International School
Afzalgarh (Bijnor)

Amit Karnwal

किरन देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 883844

21– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि, भवन, स्कूल, कॉलेज एंव अन्य शिक्षण संस्थाओं हेतु सभी प्रकार की चल अचल सम्पत्ति को क्रय करना, विक्रय करना, अधिग्रहित करना, बन्धक करना अथवा किसी विधि मान्य प्रकार से उस पर कब्जा करना।

22– सामाजिक/सांस्कृतिक उत्सवों एंव राष्ट्रीय पर्वो व महापुरूषों की जयन्ती आदि कार्यक्रम को आयोजित करना एंव उनके आयोजन में सहयोग करना। यदि ट्रस्ट अथवा उसके ट्रस्टीगण द्वारा उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य ट्रस्ट, सोसायटी अथवा परियोजना को अंशदान या आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तो इस कार्य को भी ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया कार्य ही माना जायेगा।

23– ट्रस्ट के सुचारू प्रबन्धन एंव कार्य संचालन हेतु देश के किसी भी भाग में क्षेत्रीय कार्यालय/विश्राम गृहों आदि की स्थापना करना।

Principal
K.D.B.L International School
Afzalgarh (Bijnor)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 883845

4— ट्रस्ट के ट्रस्टीगण :—

क्र0 सं0	ट्रस्टी का नाम	पिता/पति/पुत्री का नाम	पता	आयु
1	श्री बृजेश कर्णवाल	स्व0 श्री बुन्दु लाल	बेगम सराय, अफजलगढ़ तह0 धामपुर जिला बिजनौर	36
2	श्री आकाश कर्णवाल	स्व0 श्री बुन्दु लाल	" ""	32
3	श्री मनीष कर्णवाल	स्व0 श्री बुन्दु लाल	" ""	30
4	श्री अमित कर्णवाल	स्व0 श्री बुन्दु लाल	" ""	28
5	श्रीमती किरन देवी	स्व0 श्री बुन्दुलाल	" ""	68

क— श्री बृजेश कर्णवाल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी होगें व श्रीमती किरन देवी ट्रस्ट की ज्वाईन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी होगें तथा ये दोनों अपने—अपने पदों पर आजीवन बने रहेगें। जब तक कि इनमें से कोई स्वेच्छा से अपना पद त्याग नहीं करता है। यदि आकस्मिक रूप से अथवा स्वेच्छा से पद त्याग करने पर मैनजिंग ट्रस्टी का पद रिक्त होता है तो ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी स्वतः मैनेजिंग ट्रस्टी का रिक्त पद ग्रहण कर लेगा तथा यदि ज्वाईन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी का पद रिक्त होता है तो शेष ट्रस्टीगण अपने में से मैनेजिंग ट्रस्टी/ज्वाईन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी को को—आप्ट कर लेगें।

Principal
K.D.B.L. International School
Afzalgarh (Bijnor)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 883846

ख– अन्य ट्रस्टीगण में से दो–दो संख्या में में प्रति तीन वर्ष बाद रिटायर होते रहेगें। प्रथम दो ट्रस्टी इस ट्रस्ट के गठन की तिथि से तीन वर्ष बाद रिटायर होगे। रिटायर हुए ट्रस्टीगण पुनः को–आप्ट किये जाने को अर्ह होगें।

ग– मैनेजिंग ट्रस्टी एंव ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी अपनी इच्छा से किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सकें, ट्रस्ट का ट्रस्टी को–आप्ट कर सकेंगें।

घ– ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगण की अधिकतम संख्या **बारह** से अधिक नहीं होगें।

5– प्रबन्धन :–

अ– ट्रस्ट के प्रबन्धन एंव नियन्त्रण के पूर्ण अधिकार इसके ट्रस्टीगण में निहित होगें। ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की ओर से चल व अचल सम्पत्ति क्रय–विक्रय करने, ट्रस्ट के स्वामित्व की सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करने एंव कब्जा प्रदान करने, शिक्षण संस्थाओं के लिए व ट्रस्ट के लिए उपयोगी भवनों का निर्माण कराने, ट्रस्ट के हक में फन्ड, चल व अचल सम्पत्ति एंव पूंजी निवेश की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार होगा।

ट्रस्टीगण का यह भी वैधानिक अधिकार होगा कि वे समय–समय पर ट्रस्ट के सुचारू प्रबन्धन एंव प्रशासन हेतु आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नियमों व उपनियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन करे अथवा नये नियमों / उपनियमों का निर्माण करें। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे नियम व उपनियम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (15) 11 से 13 एंव 80–जी के प्राविधानों के विपरीत न हो।

Amit Kumar

Principal
K.D.B.L International School
Afzalgarh (Bijnor)

Brijesh Kumar
Anil Karnwal
Manish Karnwal
Anil Karnwal
किरन देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 883847

ब– ट्रस्ट के सुचारू प्रबन्धन, आय–व्यय पर विचार करने एंव अन्य सभी प्रकार के मामलों के निस्तारण हेतु ट्रस्टीगण की अधिक से अधिक बैठकें आयोजित की जायेगी परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक वर्ष में कम से कम तीन बैठकें अवश्य आयेाजित की जायेंगी।

स– ट्रस्ट की बैठकों को कोरम कम से तीन सदस्यों की उपस्थिति से पूर्ण होगा।

द– ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा व मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में ज्वाईन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा की जायेगी। मैनेजिंग ट्रस्ट व ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी दोनों की अनुपस्थिति की दशा में ट्रस्ट की कोई भी बैठक विधि मान्य नहीं होगी। बैठकों में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होगें तथा मतों की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जायेगा।

य– बैठकों की समस्त कार्यवाही इसके लिए निर्धारित कार्यवाही पुस्तिका में अंकित की जायेगी।

र– ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टीगण के अतिरिक्त अन्य ट्रस्टीगण में से जो ट्रस्टी लगातार तीन बैठकों में बिना कोई उचित कारण बताये तथा बिना पूर्व सूचना दिये अनुपस्थित रहेगें उनकी ट्रस्टी के रूप में सदस्यता समाप्त कर दी जोयगी।परन्तु ट्रस्टीगण किसी उचित एंव विधि मान्य कारण के आधार पर ऐसे ट्रस्टी को उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त कर सकते है।

ल– ट्रस्ट के प्रबन्धन एंव प्रशासनिक मामलों पर ट्रस्टीगण में मत विभिन्नता होने की स्थिति में बहुमत का निर्णय मान्य होगा तथा यह सभी ट्रस्टीगण के लिए अनिवार्यतः स्वीकार्य होगा।

Amit Kumar
Principal
K.D.B.L International School
Afzalgarh (Bijnor)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 88384(

झ– अपरिहार्य परिस्थितियों में ट्रस्टीगण समिति के निष्क्रिय/ निलम्बित/ भंग हो. जाने की स्थिति में शासन किसी सक्षम अधिकारी/ न्यायालय/ विश्वविद्यालय द्वारा नामित प्रशासक/ अधिकार नियंत्रक ट्रस्टीगण समिति के सदस्यों में से ही नामित होगा। जिसके लिए पदच्युत मैनेजिंग ट्रस्टी की सहमति आवश्यक होगी।

6– ट्रस्टीगण के अधिकार :–

1– ट्रस्ट के फण्ड का समुचित प्रबन्धन करना तथा इससे होने वाली आय, लाभ एंव ब्याज को प्राप्त करना एंव उस पर होने वाले व्यय व अन्य देनदारियों का भुगतान करना।

2– ट्रस्टीगण उन सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत होगें जो उन्हें विशेष रूप से प्रदान किये गये हैं तथा जो ट्रस्ट के सुचारू संचालन में उपयोगी एंव हित साध हों।

3– ट्रस्ट की ओर से बैंक एकाउण्ट खोलने एंव संचालित करने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी में से कोई एक अथवा दोनों, ट्रस्टीगण द्वारा बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार अधिकृत होगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी शिक्षण संस्थान अथवा अन्य संस्था का बैंक एकाउण्ट ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी, ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी तथा उक्त संस्था के प्रबन्धक में से किए गए के नाम से ट्रस्टीगण द्वारा बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार खोला एंव संचालित किया जायेगा।

Amit Kumar
Principal
K.D.B.L International School
Afzalgarh (Bijnor)

4– ट्रस्ट द्वारा अथवा ट्रस्ट के विरूद्व विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत वादों की पैरवी, ट्रस्ट की सम्पत्ति के रख–रखाव एंव स्वामित्व की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ट्रस्टीगण का ही होगा इस कार्य हेतु ट्रस्टीगण द्वारा मैनेजिंग

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 883849

ट्रस्टी, ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा अन्य ट्रस्टीगण में से किसी एक या एक से अधिक को अधिकृत किया जायेगा।

5– ट्रस्ट के ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट डीड द्वारा प्रदत्त की गई शिकायतें व उत्तरदायित्वों व निर्वहन के अतिरिक्त इडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत प्राविधानित उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु भी प्रतिबन्धित रहेगें।

6– ट्रस्टीगण को अपने विवेक से लिये गये सामूहिक निर्णय द्वारा ट्रस्ट की किसी भी अचल सम्पत्ति या सम्पत्तियों को जो उनके स्वत्वाधिकार में है, को विक्रीत करने एंव आवश्यक होने पर ट्रस्ट के पक्ष में किसी चल व अचल सम्पत्ति को क्रय करने का पूर्ण अधिकार होगा। प्रतिबन्ध यह है कि ट्रस्ट के कार्य संचालन की प्रक्रिया के अर्न्तगत किये गये क्रय–विक्रय से यदि ट्रस्ट को कोई हानि होती है ते उसको ट्रस्ट द्वारा ही वहन किया जायेगा। साथ ही इस प्रकार किये गये प्रत्येक विक्रय से प्राप्त धनराशि को ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा किया जायेगा तथा क्रय किये जाने के लिए भुगतान हेतु वांछित धनराशि को ट्रस्ट के बैंक खाते से ही आहरित किया जायेगा।

7– ट्रस्टीगण किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी भारतीय अथवा विदेशी व्यक्ति या संस्था से स्वेच्छापूर्वक दिया गया दान, अंशदान, उपहार मासिक/वार्षिक चन्दा, डोनेशन आदि प्राप्त कर सकेगें।

8– ट्रस्ट के समस्त लेखे एंव आय--व्यय का विवरण लेखा–अभिलेखों में अंकित किया जायेगा। ट्रस्टीगण द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च तक की समस्त प्राप्तियों एंव भुगतान लेखे, आय--व्यय तथा बैलेन्स शीट, तैयार कराकर उसका किसी सुयोग्य चार्टर्ड एकाउन्टेंट से आडिट कराया जायेगा।

Amit Kumar

Principal
K.D.B.L International School
Afzalgarh (Bijnor)

Ahsaj Kamal Manish Narang Amit Kumar

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 88385(

9– ट्रस्टीगण द्वारा समय–समय पर ट्रस्ट के कार्य के संचालन हेतु कर्मचारियों यथा लेखा लिपिक, कार्यालय सहायक व अन्य कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति की जायेंगी तथा उनके वेतन एंव भत्ते निर्धारित किये जायेगें। ऐसे कर्मचारियों को देय वेतन एंव भत्ते ट्रस्ट के फंड से ही भुगतान किये जायेगें।

10– ट्रस्टीगण समय–समय पर अपने बहुमत से लिये गये निर्णयानुसार ट्रस्ट की किसी सम्पत्ति या उसके अंश को बन्धक करके अथवा बॉन्ड, डिबेन्चर, रिसीट, प्रोमिजरी नोट अथवा प्रतिभूमि सहित या प्रतिभूमि रहित जैसा उचित समझे के द्वारा ट्रस्ट के लिए ऋण प्राप्त कर सकेगें अथवा ऋण दे सकेंगे।

11– ट्रस्ट के सभी फन्ड आयकर अधिनियम की धारा 13 के प्राविधानों के अन्तर्गत ही प्रयुक्त किये जायेगें यदि किन्हीं परिस्थितियों में ट्रस्ट को भंग अथवा समाप्त किया जाता है तो उसकी समस्त परिसम्पत्तियॉं ट्रस्टीगण द्वारा लिये गये निर्णयानुसार या तो समान उद्देश्य वाले किसी अन्य ट्रस्ट, सोसायटी अथवा संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी अथवा ट्रस्टीगण में बांट दी जायेगी।

Principal
K.D.B.L International School
Afzalgarh (Bijnor)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 8838

अतएव हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता ट्रस्टीगण ने यह ट्रस्ट डीड आज दिनांक 12.12.2011 को तहरीर कर दी कि सनद रहे और वक्त जरुरत पर काम आवे।

साक्षियों के हस्ताक्षर :–

1- नरायण सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह निवासी- मो० बेगम सराय कस्बा- [illegible]

2. विनोद कुमार एडवोकेट तहसील धामपुर

Amit Kumar

Principal
K.D.B.L International School
Afzalgarh (Bijnor)

हस्ताक्षर ट्रस्टीगण

1– बृजेश कर्णवाल

2– आकाश कर्णवाल

3– मनीष कर्णवाल

4– अमित कर्णवाल

5– श्रीमती किरन देवी

आज दिनांक- 12-12-2011 ई0 को बमुकाम तहसील धामपुर में ट्रस्टीगण पर मौहम्मद मोहसिन लेखक के ड्राफ्ट पर टाइप किया गया। ह० मोहसिन
12-12-2011